रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1724] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 2019/ज्येष्ठ 17, 1941
No. 1724] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2019/JYAISTHA 17, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2019

का.आ. 1929(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2143 (अ), तारीख 24 मई, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को 25 मई, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर मंत्रालय में विचार किया गया था;

चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य जिसे अन्यथा ''चित्रांगुडी कन्माई'' के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी तमिलनाडु के मुदुकुलाथूर तालुक और रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के चित्रांगुडी ग्राम का भाग है। चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में अक्षांश 09°19'उ और देशांतर 078°**28'**पू के बीच स्थित है। अभयारण्य को अनुमानित क्षेत्र 0.4763 वर्ग किलोमीटर के साथ वर्ष 1989 में घोषित किया गया था। यह चित्रांगुडी ग्राम के एस.एफ.सं.159 में स्थित है;

और, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 18 (1) के अर्थ और दायरे के अंतर्गत जल- निकायों में रहने वाले जलीय पक्षी जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से पर्यावरण और वन विभाग (एफ आर वी) के तारीख 21

सितम्बर, 1989 के शासनादेश सं.684 के द्वारा अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यहां देश के विभिन्न भागों से आहार के लिए अनेक किस्म के प्रवासी पक्षी आते हैं। व्यस्त मौसम के दौरान यहां 43 प्रजातियों के लगभग 11000 पक्षी सूचीबद्ध किये गये हैं और यहां के महत्त्वपूर्ण पक्षियों में वाइट इबिस, ब्लैक इबिस, ओपन- बिल्लेड स्ट्रोक, सफेद बगुला, मैना, टील, बतख, डारटेरस, हेरोन, पेलिथनस आदि सम्मिलित हैं;

और, यह अभयारण्य भिन्न-भिन्न प्रकार की वनस्पति और जीवजंतुओं का सबसे बड़ा वास है और यहां संकटापन्न प्रजातियाँ प्रचुर संख्या में हैं जिनमें पेलिकन, पैंटेड स्ट्रोक, यूरासियन स्पुन बिल, वाइट इबिस, डारटेर, फलेमिंगो और कॉमन कूट, पिन टेल, ग्रागने, इगरेटस, कोरमोरेंट्स, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट, किंग फिशर, कॉमन मैना, बराहमिंनी काइट, स्पोट्टेड ओवलेट जैसे जल पक्षी और 30 से अधिक अभिलिखित सामान्य पक्षी सम्मिलित हैं;

और, यह अभयारण्य शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए आदर्श पर्यावास हैं जहां प्रजनन और आहार की दृष्टि से घोंसले बनाने और आहार के लिए व्यापक दायरा है। दक्षिण भारत की ओर प्रवास करने वाले औपनिवेशिक पक्षियों के पसंदीदा आश्रय-स्थलों में से एक है। अक्टूबर से फरवरी तक इस अभयारण्य में महत्वपूर्ण पक्षी आते हैं। इस आर्द्रभूमि की गहराई अनियमित है और सामान्य वर्षा होने की स्थित में इसमें 3 से 5 महीने तक जल भरा रहता है;

और, यह अभयारण्य मूल रूप से सिंचाई टैंक है जिसका उपयोग अक्टूबर से जनवरी तक उत्तरपूर्व मानसून द्वारा संभरित जल का कृषि के लिए भंडारण किया जाता है। मार्च से अगस्त तक यह यह टैंक पूरी तरह सूखा रहता है। चूंकि यह अभयारण्य मूल रूप से सिंचाई टैंक है, यहां अभयारण्य के अंतर्गत कोई प्राकृतिक वन नहीं है। 1980 के दशक के दौरान वन विभाग के सामाजिक वानिकी विंग द्वारा बबूल *(अकैशिया निलोटिका)* के पेड़ लगाए गए थे;

और, इस अभयारण्य की मुख्य वनस्पति नीरमुल्ली (*हायगरोफिला स्चुल्ली* (हैमिल्ट) एम.आर. अल्मेइदा), नायउरीवि *(अचयरांथेस असपेरा एल.*), पनाइ *(बोरास्सुस फलाबेल्लीफेर एल.*), इरूक्कु *(कलोटरोपिस गिगंथिया* (एल.) आर.बीआर.), वेट्टुक्काया-थाज़हाई *(ट्रीडैक्स परोकुम्बेंस एल.*), मौकथिपौ *(पारथेनिउम हायस्टेरोफोरूस एल.*), अवराम, अवाराइ *(सेन्ना अउरीकुलाटा* (एल.) रोक्सब) पुलिया मारम *(तमारिनदुस इंडिका एल.*), नाई कदुगु, नाई वाइलेइ *(क्लेओमे विस्कोसा एल.*), नेइवेलिकाटमनाक्कु *(लपोमोयिया कारनिया जाक्य.*), विसानुकारंदी *(इक्वाल्वालुस अल्सिनोइदेस* (एल.) एल.), वेल्लारिक्काइ, कैराक्काइ *(कुकुमिस स्टीवुस एल.*) आदि हैं। इस अभयारण्य के एक सिंचाई टैंक होने के कारण यहां जीवजंतु प्रजातियां (पक्षी जीवों को छोड़कर) बहुत कम हैँ जिनमें भारतीय ग्रे नेवला *(हेरपेस्टेस इदवारदसि),* भारतीय पाल्म गिलहरी *(फुनाम्बुलुस पल्मारूम),* सियार (*कैनिस ऑरियस*), ब्लैक-नेपड खरगोश *(लेपुस निगरीकोल्लिस) और बैंडीकूट रैट (बैंडीकोटा बेंगालेंसिस)* सम्मिलित हैं;

और, इस अभयारण्य में सिर्फ एक मानव बस्ती है जो इसकी दक्षिणी सीमा अर्थात् चित्रांगुडी पर स्थित है, जिसे चित्रांगुडी गांव कहते हैं। इस ग्राम में मुख्यत: अगडे समुदाय के लोग रहते हैँ। अधिकांश ग्रामवासी मारवार जाति से संबंधित हैं। याधवर और पिल्लई जातियों में प्रत्येक 40 सदस्यों के साथ संख्या में बराबर है। सभी ग्रामवासी हिंदू धर्म को मानते हैं। चार ग्राम चित्रांगुडी, इराईचीकुलम, एस पी कोट्टई और पोंदमपुली चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य के निकट स्थित है, जो चित्रांगुडी पंचायत की अधिकारिता में आतें है;

और, ग्राम की कुल जनसंख्या में 2350 पुरूष और 2850 स्त्रियां हैं। अधिकतम जनसंख्या चित्रांगुडी ग्राम में है और उसके बाद इराईचीकुलम, एसपी कोट्टाई और पोंदमपुली ग्रामों में है। सभी ग्रामों में परिवारों की कुल संख्या

910 है और लगभग 818 परिवारों के पास निजी भूमि है। हालांकि, कुल परिवारों में से आधे से अधिक (690) गरीबी रेखा से नीचे हैं। कृषि और सम्बर क्रियाकलाप जैसे कि पशु पालन और कुक्कुट –पालन प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में रहने वाले लोगों के लिए अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्त्रोत हैँ। ईंट और कोयला बनाना भी यहां के लोगों की आजीविक़ा का साधन है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य में चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य की सभी सीमाओं के चारों ओर 0.08 किलोमीटर से 1.88 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य के चारों ओर 0.08 किलोमीटर से 1.88 किलोमीटर तक है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 4.7972 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का सीमांकन दर्शाने वाले संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध-II क-च** पर है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची क्रमश: **उपाबंध-III (क)** और **(ख)** में है।

(5) प्रमुख-स्थलों पर भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ, एक आंचलिक महायोजना बनाएगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी रीति से तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को सम्मिलित करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

IndiaCode

(i) पर्यावरण,

(ii) वन और वन्यजीव,

(iii) कृषि,

(iv) राजस्व,

(v) शहरी विकास,

(vi) पर्यटन,

(vii) ग्रामीण विकास,

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण,

(ix) नगरपालिका,

(x) पंचायती राज,

(xi) लोक निर्माण विभाग,

(xii) राजमार्ग, और

(xiii) तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा और इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा और इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग**.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय या राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप।

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान करके उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत इस रीति से बनाए जाऐंगे कि उसमें इन क्षेत्रों या इनके आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया हो।

IndiaCode

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा;

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी;

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

परंतु, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभिहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी पर्यटन पर जोर देते हुए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर सम्बद्ध विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और किसी नए होटल, रिर्सोट या वाणिज्यिक स्थापनों के संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.-** ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसरण में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों और उसके अधीन समय समय पर बनाए गए संशोधित नियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ई एस एम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ई एस एम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन.-** वाहन-यातायत का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक

IndiaCode

अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **यान जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक इकाईयां.-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि यह आवश्यक समझती है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	क. नए खनन एवं विद्यमान (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; ख. खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम

		भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में तारीख 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख.विनियमित क्रियाकलाप		
8.	होटलों और रिसोर्टो की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञात होगी ।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या

IndiaCode

		पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना; (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना ; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप। परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	क. राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकार भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी। ख. वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।

12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
13.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
14.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
15.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) के अधीन अनुज्ञात होगा ।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा तथा संबंधित प्राधिकारी

IndiaCode

	खुले कुएं, बोर कुएं आदि का निर्माण ।	द्वारा क्रियाकलाप की सख्त मानीटरी की जाएगी।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	पटाखों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
30.	जला हुआ कोयला।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
31.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति .- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित को सम्मिलित करके एक निगरानी समिति गठित करती है:-

1.	जिला अधिकारी, रामनाथपुरम	अध्यक्ष,
2.	वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा	सदस्य,
3.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला एक जैव विविधता विशेषज्ञ	सदस्य,
4.	जिला पर्यावरण अधिकारी, पर्यावरण विभाग	सदस्य,

5.	सहायक निदेशक, पंचायत, रामनाथपुरम	सदस्य,
6.	नगर नियोजन अधिकारी / कार्यकारी अधिकारी, पंचायत	सदस्य,
7.	कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रामनाथपुरम	सदस्य,
8.	जिला पर्यावरण इंजीनियर, तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रामनाथपुरम	सदस्य,
9.	उप निदेशक, खदान और खनिज विभाग	सदस्य,
10.	वन्यजीव वार्डन, मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी, रामानाथपुरम	सदस्य -सचिव।

6. निर्देश-निबंधन.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकारियो को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/05/2018-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

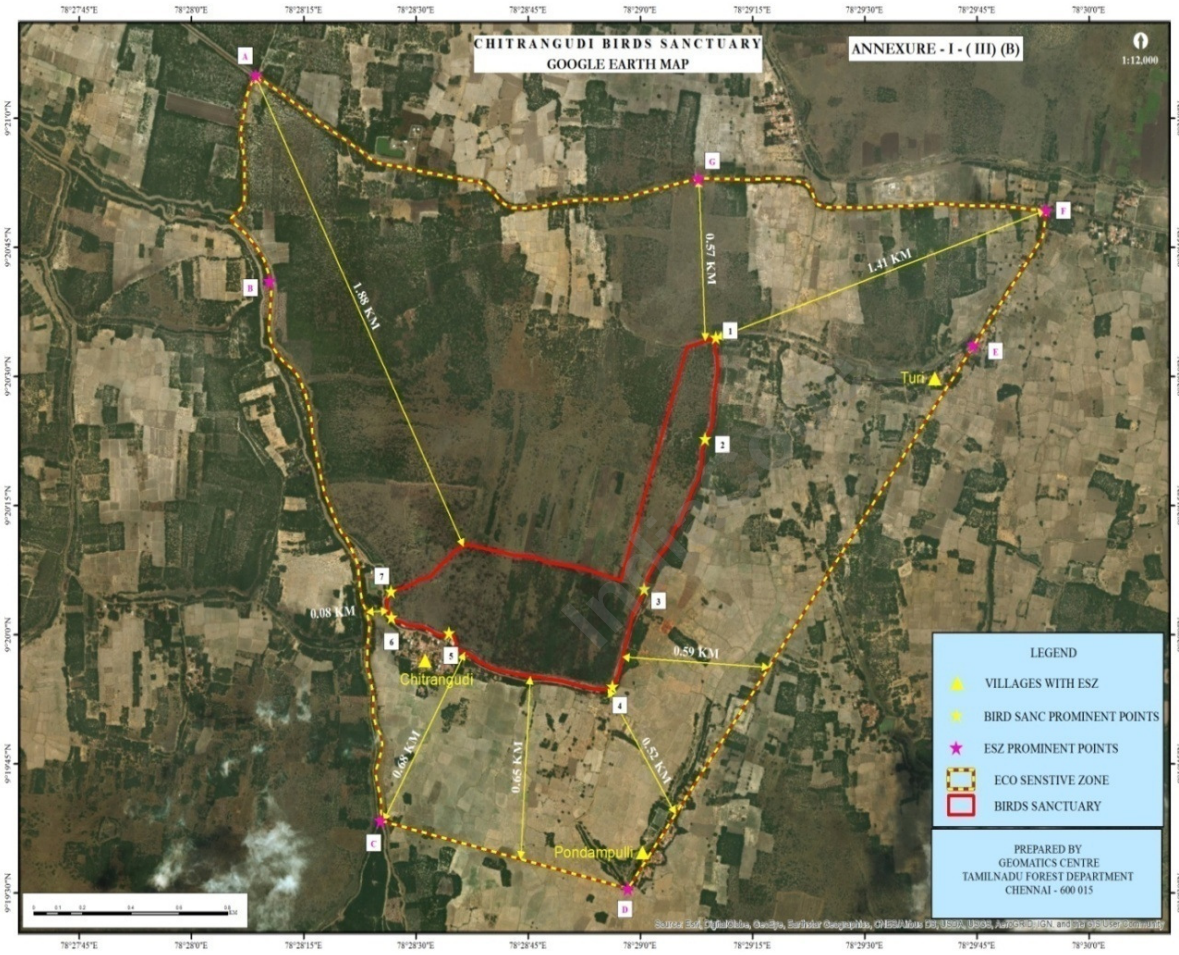
संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर	मुदुकलाथुर-कमुथी राज्य राजमार्ग पर फीडर चैनल से चित्रांगुडी कन्मोई के अवरोध बिंदु से आरंभ होती है। इसके बाद सीमा मुदुकलाथुर- कमुथी राज्य राजमार्ग के साथ पूर्वी दिशा में जाती है।
उत्तर पूर्व	सीमा उत्तरी भाग पर मुदुकलाथुर-कमुथी राज्य राजमार्ग पर तूरी ग्राम उप-सड़क के अवरोध बिंदु पर समाप्त होती है।
पूर्व	तूरी ग्राम उप-सड़क के साथ, सीमा दक्षिण पूर्वी दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी तक जाती है।
दक्षिण पूर्व	सीमा पोंदामपूली कन्मोई के बांध के साथ जाकर बांध पर पोंदामपूली कन्मोई के सुदूर दक्षिणी छोर को छूती है।
दक्षिण	सीमा चित्रांगुडी कन्मोई के दक्षिण में 650 मीटर जाकर इराईचीकूलम कन्मोई बांध को छूती है।
दक्षिण पश्चिम	सीमा इराईचीकूलम कन्मोई के सुदूर पूर्व टीप के बिंदु पर चित्रांगुडी टैंक की दक्षिणी सीमा से 700 मीटर की दूरी पर आरंभ होती है। वहां से सीमा चित्रांगुडी-सोनाईपीरीयनकोट्टाई सड़क के साथ उत्तर की ओर जाती है।
पश्चिम	सीमा चित्रांगुडी- सोनाईपीरीयनकोट्टाई सड़क के साथ जाकर चित्रांगुडी ग्राम सम्पर्क सड़क के साथ मुड़ती है
उत्तर पश्चिम	वहां से सीमा मुदुकलाथूर-कमुथी राज्य राजमार्ग पर फीडर चैनल से चित्रांगुडी कन्मोई के अवरोधन बिंदु पर मिलती है।

IndiaCode

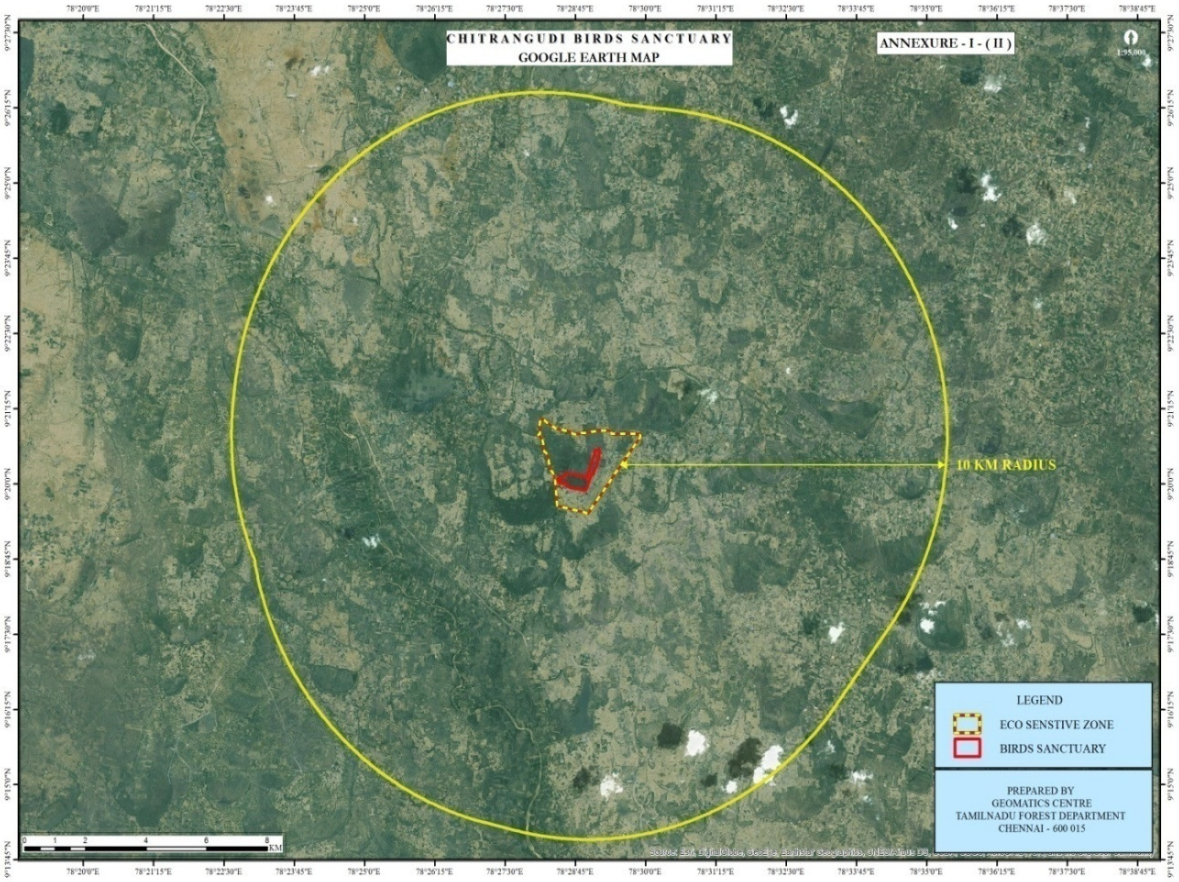
उपाबंध- IIक

चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



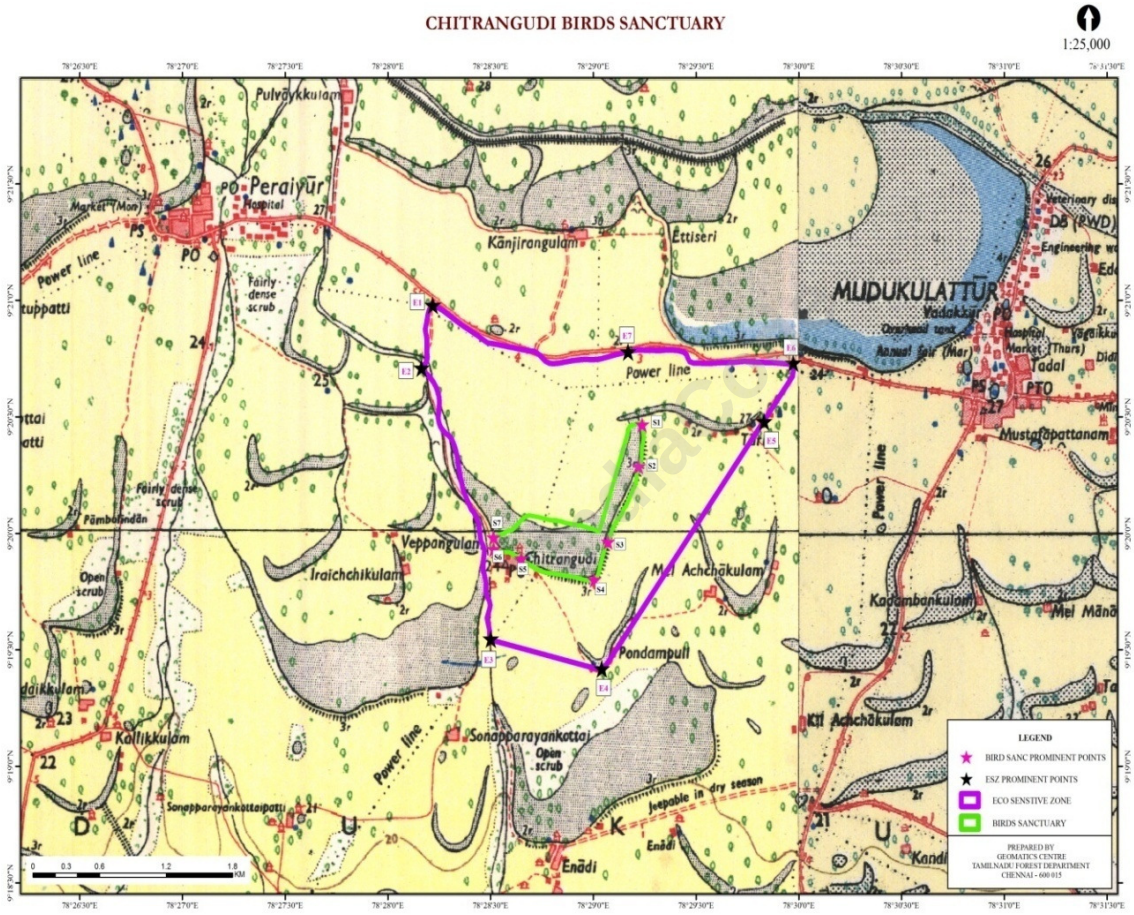
उपाबंध- IIख

चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



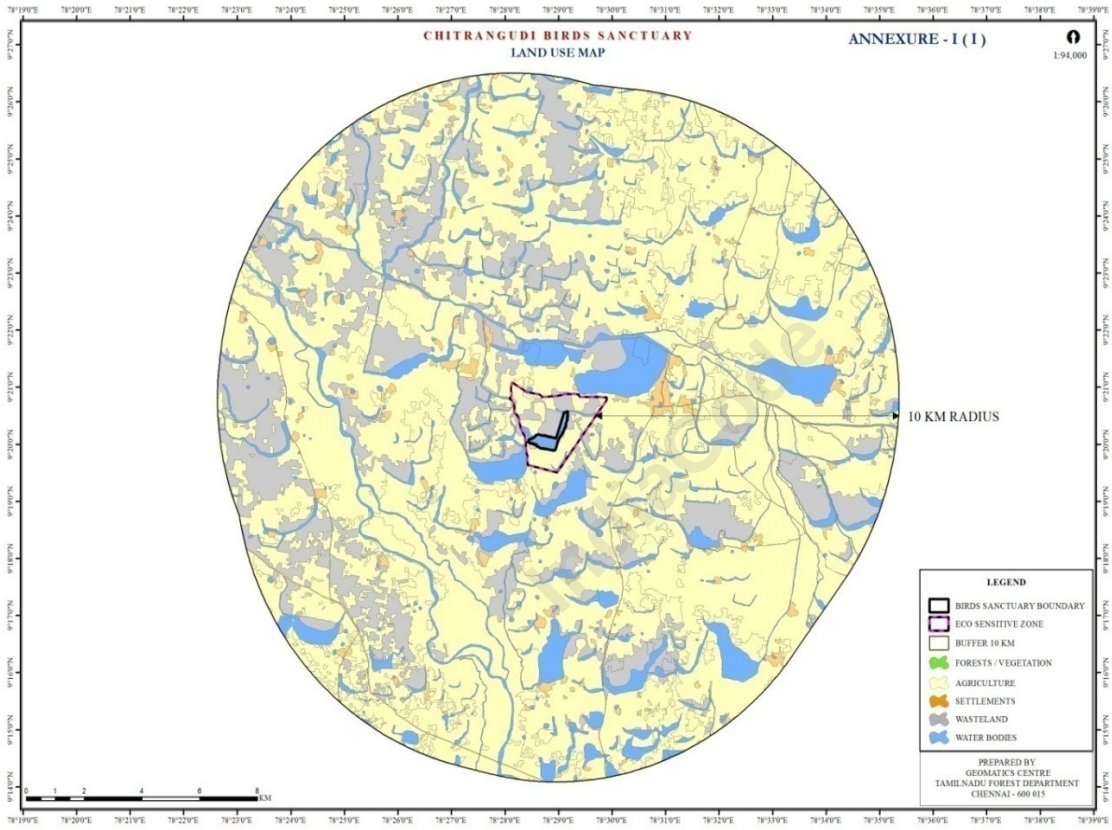
उपाबंध- IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी का मानचित्र



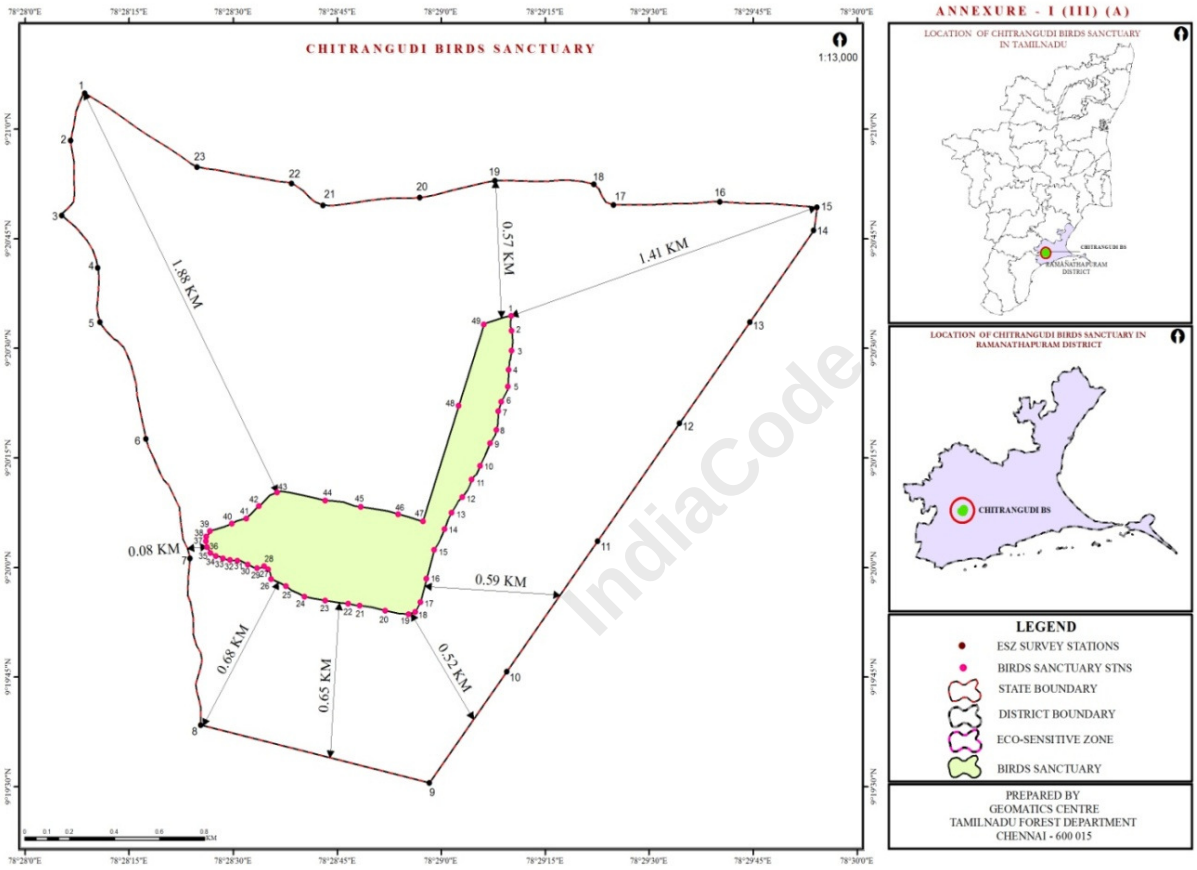
उपाबंध- IIघ

10 किलोमीटर बफर के साथ चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भू-उपयोग मानचित्र



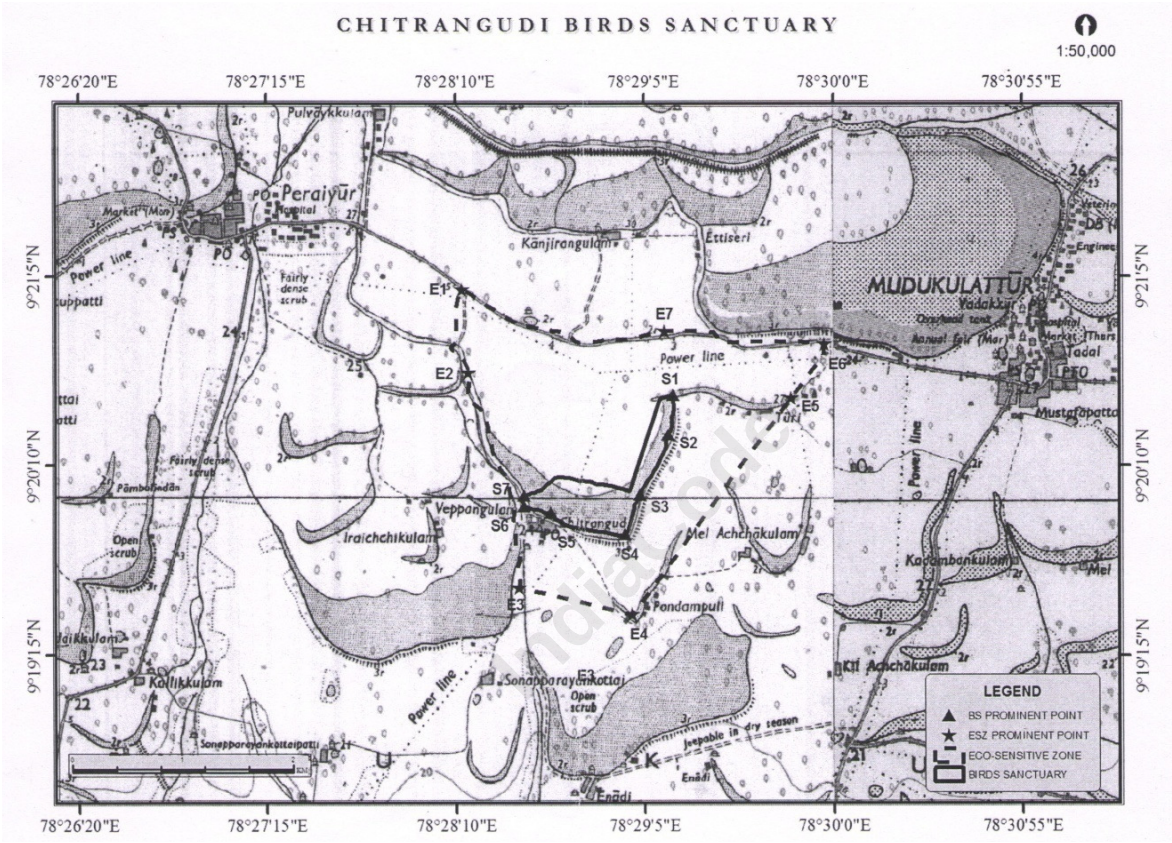
उपाबंध- IIड.

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध- IIच

रेखाछाया के साथ चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन को दर्शाने वाला मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क : चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदुओं की अवस्थिति/दिशा	अक्षांश (उ) डी.एम.एस प्रारूप	देंशातर (पू) डी.एम.एस प्रारूप
1.	1 (एस1)	उ.पू-तूरी कन्मोई से लगने वाले सूदूर उत्तरी टिप	9°20'34.494"	78°29'10.1472"
2.	2	पू	9°20'32.4384"	78°29'10.2192"
3.	3	पू	9°20'29.6916"	78°29'10.2012"
4.	4	पू	9°20'27.0996"	78°29'9.798"
5.	5	पू	9°20'24.7956"	78°29'9.6936"
6.	6 (एस2)	पू चित्रांगुडी टैंक के बांध-पर सुदूर पूर्वी बिंदु	9°20'22.7184"	78°29'8.7216"
7.	7	पू	9°20'21.426"	78°29'8.2716"
8.	8	पू	9°20'18.87"	78°29'8.0016"
9.	9	पू	9°20'17.0628"	78°29'7.1232"
10.	10	पू	9°20'13.9128"	78°29'5.6688"
11.	11	पू	9°20'12.0552"	78°29'4.4304"
12.	12	पू	9°20'9.6684"	78°29'3.0732"
13.	13	पू	9°20'7.548"	78°29'1.554"
14.	14 (एस3)	पू चित्रांगुडी टैंक के बांध पर सुदूर पूर्वी बिंदु	9°20'5.2872"	78°29'0.546"
15.	15	पू	9°20'2.4252"	78°28'59.0232"
16.	16	पू	9°19'58.4796"	78°28'57.9396"
17.	17	पू	9°19'55.2936"	78°28'57.0648"
18.	18 (एस4)	पू चित्रांगुडी टैक के बांध पर सुदूर दक्षिण पूर्वी बिंदु	9°19'53.9184"	78°28'56.3196"

IndiaCode

19.	19	द पू – बांध के साथ	9°19'53.6304"	78°28'55.362"
20.	20	द	9°19'54.0804"	78°28'51.978"
21.	21	द	9°19'54.8112"	78°28'48.2808"
22.	22	द	9°19'55.0812"	78°28'46.65"
23.	23	द	9°19'55.4808"	78°28'43.32"
24.	24	द निगरानी टावर के निकट	9°19'56.046"	78°28'40.3428"
25.	25	द	9°19'57.4536"	78°28'37.6752"
26.	26	द	9°19'58.4292"	78°28'35.508"
27.	27	द	9°19'59.7792"	78°28'35.1012"
28.	28 (एस5)	द बांध पर मंदिर के उत्तर की ओर का बिंदु	9°20'0.1788"	78°28'34.4748"
29.	29	द	9°19'59.9052"	78°28'33.4956"
30.	30	द	9°20'0.402"	78°28'32.1312"
31.	31	द	9°20'10.2984"	78°28'36.3828"
32.	32	द	9°20'0.942"	78°28'30.6624"
33.	33	द	9°20'1.032"	78°28'29.5788"
34.	34	द	9°20'1.2876"	78°28'28.5744"
35.	35 (एस6)	द प चित्रांगुडी ग्राम के सम्यक मार्ग के निकट बांध के साथ	9°20'1.5936"	78°28'27.5376"
36.	36	प	9°20'2.004"	78°28'26.7384"
37.	37	प	9°20'2.8068"	78°28'26.2848"
38.	38	प	9°20'3.5952"	78°28'26.1084"
39.	39 (एस7)	उ प पेयजल ओरानी के निकट बांध के साथ	9°20'4.2612"	78°28'26.166"
40.	40	उ प	9°20'5.01"	78°28'26.6772"
41.	41	उ प	9°20'6.0288"	78°28'29.8452"
42.	42	उ प	9°20'6.738"	78°28'31.9224"
43.	43	उ प	9°20'8.4192"	78°28'33.726"
44.	44	उ	9°20'9.204"	78°28'43.3164"

IndiaCode

45.	45	उ	9°20'6.342"	78°28'57.414"
46.	46	उ	9°20'22.164"	78°29'2.5728"
47.	47	उ	9°20'8.3256"	78°28'48.4356"
48.	48	उ	9°20'33.3096"	78°29'6.2052"
49.	49	उ	9°20'7.3176"	78°28'53.8248"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु की अवस्थिति दिशा	अक्षांश (उ) डी.एम.एस प्रारूप	देंशातर (पू) डी.एम.एस प्रारूप
1.	1 (इ1)	उ प मुदुकलाथूर-कमूथी सड़क पर चित्रांगुडी सम्पर्क-सड़क का अवरोधन बिंदु	9°21'4.9572"	78°28'8.6304"
2.	2	प	9°20'58.4844"	78°28'6.5604"
3.	3	प	9°20'48.1884"	78°28'5.2752"
4.	4 (इ2)	प चित्रांगुडी ग्राम के सम्पर्क मार्ग के साथ	9°20'41.064"	78°28'10.488"
5.	5	प	9°20'33.5868"	78°28'10.8264"
6.	6	प	9°20'17.6208"	78°28'17.4504"
7.	7	प	9°20'1.2624"	78°28'23.8116"
8.	8 (इ3)	द प बांध के साथ इराईचीकुलम कन्मोई का पूर्वी टी	9°19'38.4132"	78°28'25.3272"
9.	9 (इ4)	द पू पोंदमपुली कन्मौई बांध का दक्षिणी टीप	9°19'30.522"	78°28'58.3644"
10.	10	पू	9°19'45.75"	78°29'9.5208"
11.	11	पू	9°20'3.6276"	78°29'22.6176"
12.	12	पू	9°20'19.7484"	78°29'34.4292"
13.	13 (इ5)	पू तूरी कन्मोई का पूर्वी टीप	9°20'33.6156"	78°29'44.5848"
14.	14	पू	9°20'46.2048"	78°29'53.808"
15.	15 (इ6)	उ पू	9°20'49.3296"	78°29'54.2868"

IndiaCode

		मुदुकुलाथूर- कन्मुथी सड़क पर तूरी ग्राम सम्पर्क-सड़क का अवरोधन बिंदु		
16.	16	उ उ	9°20'50.0928"	78°29'40.2684"
17.	17	उ	9°20'49.6824"	78°29'24.918"
18.	18	उ	9°20'52.4652"	78°29'22.1064"
19.	19 (इ7)	उ मुदुकलाथूर-कमुथी सड़क के साथ	9°20'52.9728"	78°29'7.818"
20.	20	उ	9°20'50.6904"	78°28'56.9712"
21.	21	उ	9°20'49.6176"	78°28'43.0104"
22.	22	उ	9°20'52.6164"	78°28'38.4564"
23.	23	उ	9°20'54.8628"	78°28'24.8088"

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील/ तालुक	जिला	अक्षांश (उ) डी.एम.एस प्रारूप	देंशातर (पू) डी.एम.एस प्रारूप
1	चित्रांगुडी	मुदुकालाथुर	रामनाथपुरम	9°19'56.73"	78°28'33.71"
2	तुरी	मुदुकालाथुर	रामनाथपुरम	9°20'29.81"	78°29'39.38"
3	पोंदाम्पुल्लीइ	मुदुकालाथुर	रामनाथपुरम	9°19'34.12"	78°29'1.76"

उपाबंध-V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति:- की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।

IndiaCode

4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।

5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार : (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।

6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार : (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार :

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला :

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2019.

S.O. 1929(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2143 (E), dated the 24th May, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 25th May, 2018;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were considered in the Ministry;

AND WHEREAS, the Chitrangudi Bird Sanctuary otherwise known as "Chitrangudi Kanmai" is located in Mudukulathur taluk and Ramanathapuram district of southern Tamil Nadu. It is a part of Chitrangudi Village of Ramanathapuram District of Tamil Nadu. The Chitrangudi Bird Sanctuary lies between Latitude 09°19'N and 078°28'E Longitude in the Ramanathapuram District of Tamil Nadu. The sanctuary was declared in the year of 1989, with an estimated area of 0.4763 square kilometre. It is located in S.F No. 159 of Chitrangudi Village;

AND WHEREAS, It is notified as a sanctuary within the meaning and scope of section 18 (1) of Wildlife Protection Act 1972, through the G.O Ms. No 684, Environment and Forest Department (FRV) dated the 21st September, 1989 for the conservation of avian fauna that inhabit the water body. Many of the different varieties of migratory birds arrive from various parts of countries for feeding purpose. About 11000 birds belonging to 43 species have been listed during the peak season and the important birds include, white ibis, black ibis, open-billed stork, egrets, mynas, teals, ducks, darters, herons, pelicans etc.;

AND WHEREAS, the Sanctuary is biggest resident for variety of floral and faunal diversity and has species richness of nearly threatened species such as Pelican, Painted stork, Eurasian Spoon bill, White ibis, Darter, Flamingo and water birds such as common coot, Pin tail, Garganey, Egrets, Cormorants, Black winged stilt, King fisher, Common myna, Brahminy kite, Spotted Owlet and more than 30 common birds are documented;

AND WHEREAS, the sanctuary offers ideal habitat for winter migratory birds with considerable diversity in nesting and feeding behaviour for breeding and feeding. It is one of the preferred nesting sites for heronry species and colonial birds migrating to South India. The feathered visitors flock the sanctuary from October to February. The wetland is irregular in depth and retains water for 3 to 5 months, if rain is normal;

AND WHEREAS, the sanctuary is basically an irrigation tank that is used for storing water for agriculture recharged by the northeast monsoons from October till January. The tank remains completely dry from March to August. As the sanctuary is basically an irrigation tank, there is no natural forest within the sanctuary. Babul (*Acacia nilotica)* plantations were raised by the Social Forestry wing of the Forest Department during 1980s;

AND WHEREAS, the major flora in the sanctuary are Neermulli (*Hygrophila schulli* (Hamilt.) M.R.Almeida), Nayurivi *(Achyranthes aspera* L.), Panai *(Borassus flabellifer* L.), Erukku *(Calotropis gigantea* (L.) R.Br.), Vettukkaaya-thazhai *(Tridax procumbens* L.), Mookthipoo *(Parthenium hysterophorus* L.), Avaram, Avaarai *(Senna auriculata* (L.)

Roxb.) Puliya maram *(Tamarindus indica* L.), Nai kadugu, Nai vaelai *(Cleome viscosa* L.), Neivelikatamanakku *(Ipomoea carnea* Jacq.), Vishnukarandi *(Evolvulus alsinoides* (L.) L.), Vellarikkaai, Keerakkaai *(Cucumis sativus* L.) etc. The sanctuary being an irrigation tank has very less faunal species (except Avifauna) which include Indian Grey Mongoose *(Herpestes edwardsii)*, Indian Palm Squirrel *(Funambulus palmarum)*, Jackal *(Canis aureus)*, Black -naped Hare *(Lepus nigricollis)* and Bandicoot Rat *(Bandicota bengalensis);*

AND WHEREAS, the sanctuary has only one settlement that abuts it on the southern border, namely Chitrangudi Village. The village is mainly constituted by forward community population. Majority of the villagers belong to *Maravar* caste. *Yadhavar* and *Pillai* castes are on par in number with 40 members each. All the villagers follow *Hindu* religion. Four villages, Chitrangudi, Eraichikulam, SP Kottai and Pondampuli are present in the vicinity of the Chitrangudi bird sanctuary under the jurisdiction of Chitrangudi Panchayat;

AND WHEREAS, the total population of the village consists of 2350 males and 2850 females. Maximum population is located in Chitrangudi village followed by Eraichikulam, SP Kottai and Pondampuli. Total number of households in all the villages is 910 and nearly 818 households own land; however, more than half of the total households (690) are below poverty line. Agriculture and allied activities such as livestock rearing, poultry are the major sources of economy for the people living in the proposed Eco sensitive zone. Brick making and charcoal making also contribute to their livelihood;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from 0.08 kilometres to 1.88 kilometres around the boundary of Chitrangudi Bird Sanctuary in the State of Tamil Nadu as the Chitrangudi Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-Sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. - (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 0.08 kilometres to 1.88 kilometres around the Chitrangudi Bird Sanctuary. The area of the Eco-Sensitive Zone is 4.7972 square kilometres.

(2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended at **Annexure I.**

(3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure IIA-F.**

(4) List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure III (A) and (B)** respectively.

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure IV**.

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone. - (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-Sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment,
(ii) Forest and Wildlife,
(iii) Agriculture,
(iv) Revenue,
(v) Urban Development,
(vi) Tourism,
(vii) Rural Development,
(viii) Irrigation and Flood Control,
(ix) Municipal,
(x) Panchayati Raj,
(xi) Public Works Department,
(xii) Highways, and
(xiii) Tamil Nadu State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for Security of local communities livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. – (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities;

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone;

(b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometres from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-Sensitive zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal and management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone;

(ii) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. – Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(i) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(ii) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management. - The Plastic Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and Demolition Waste Management. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-Waste. - The E-Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution. - Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units. – (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-Sensitive Zone.

(iii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes. - The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-Sensitive Zone.- All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
A. **Prohibited Activities**		
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country

		tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P. (C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents, such as:- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) small scale industries not causing pollution as per the classification done by the Central Pollution Control Board; (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and

		(v) promoted activities listed in this notification: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of Trees.	a. There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. b. The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
14.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except as otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose as per the applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
24.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.

27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Use of Fire Crackers.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Charcoal Burning.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc to be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/Forests/Habitats.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification .-For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following members namely:-

1.	The District Collector, Ramanathapuram	Chairman,
2.	A representative of Non-government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government	Member,
3.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member,
4.	District Environment Officer, Environment Department	Member,
5.	Assistant Director, Panchayat, Ramanathapuram	Member,
6.	Town Planning Officer/ Executive Officer, Panchayat	Member,
7.	Executive Engineer, Public Works Department, Ramanathapuram	Member,
8.	District Environmental Engineer, Tamil Nadu State Pollution Control Board, Ramanathapuram	Member,
9.	Deputy Director, Mines and Minerals Department	Member,
10.	Wildlife Warden, Gulf of Mannar Marine National Park, Ramanathapuram	Member -Secretary

6. Terms of Reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/05/2018-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

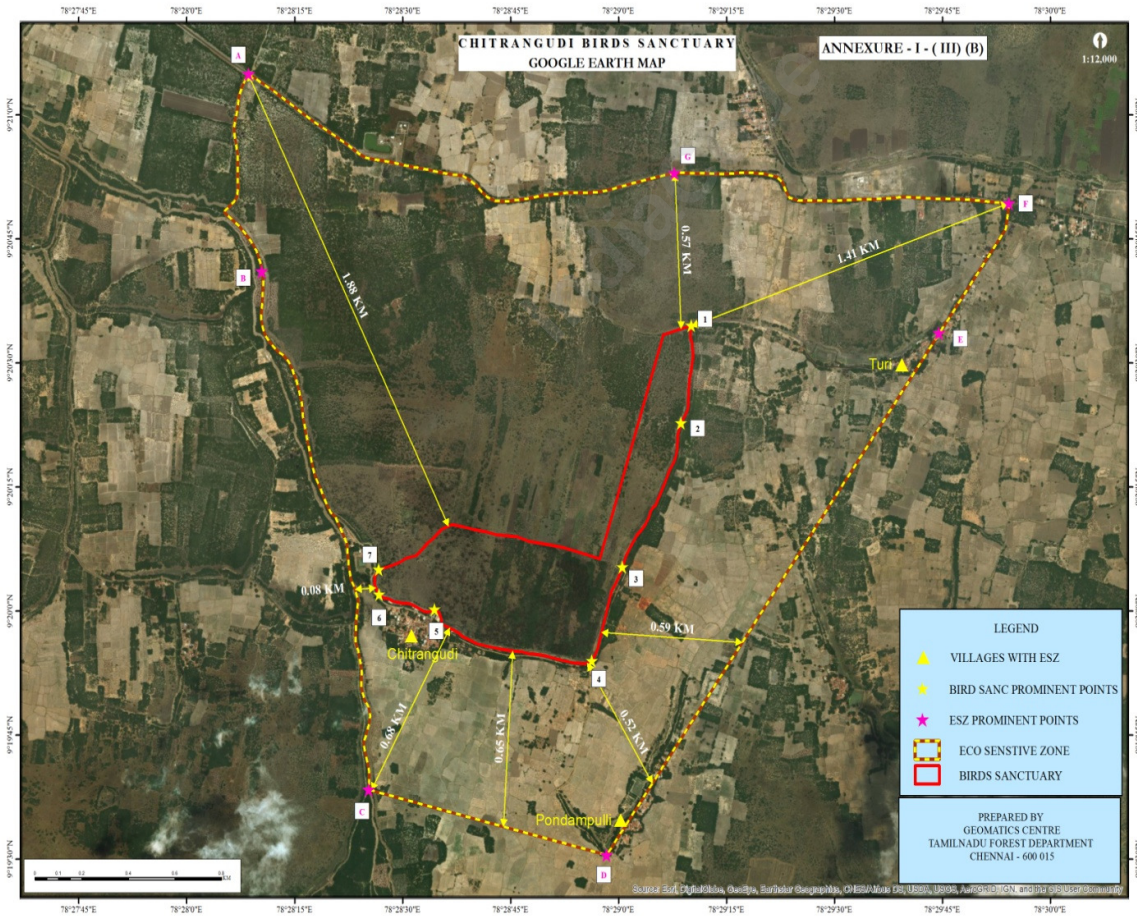
BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

North	Starts from the interception point of feeder channel to Chitrangudi Kanmoi on the Mudukalathur – Kamuthi state highway. Thence the boundary travels in eastern direction along the Mudukalathur – Kamuthi state highway.
North East	The boundary along the Mudukalathur – Kamuthi state highway on the northern portion ends at the interception point of Turi village approach road on the Mudukalathur – Kamuthi state highway.
East	Along the Turi village approach road, the boundary travels around 500 mts. away in south eastern direction.
South East	The boundary travels along the bund of Pondampuli Kanmoi till it touches the southernmost tip of the Pondampuli Kanmoi on the bund.
South	The boundary travels 650 mts. south of Chitrangudi Kanmoi till it touches the Iraichikulam Kanmoi bund.

South West	The boundary starts at a distance of 700 mts. from the southern boundary of Chitrangudi Tank on a point on the eastern most tip of Iraichikulam Kanmoi. Thence the boundary travels northwards along the Chitrangudi – Sonaipiriyankottai road.
West	The boundary travels along the Chitrangudi – Sonaipiriyankottai road and inturn along the Chitrangudi village approach road.
North West	Thence the boundary meets the interception point of feeder channel to Chitrangudi Kanmoi on the Mudukalathur – Kamuthi state highway

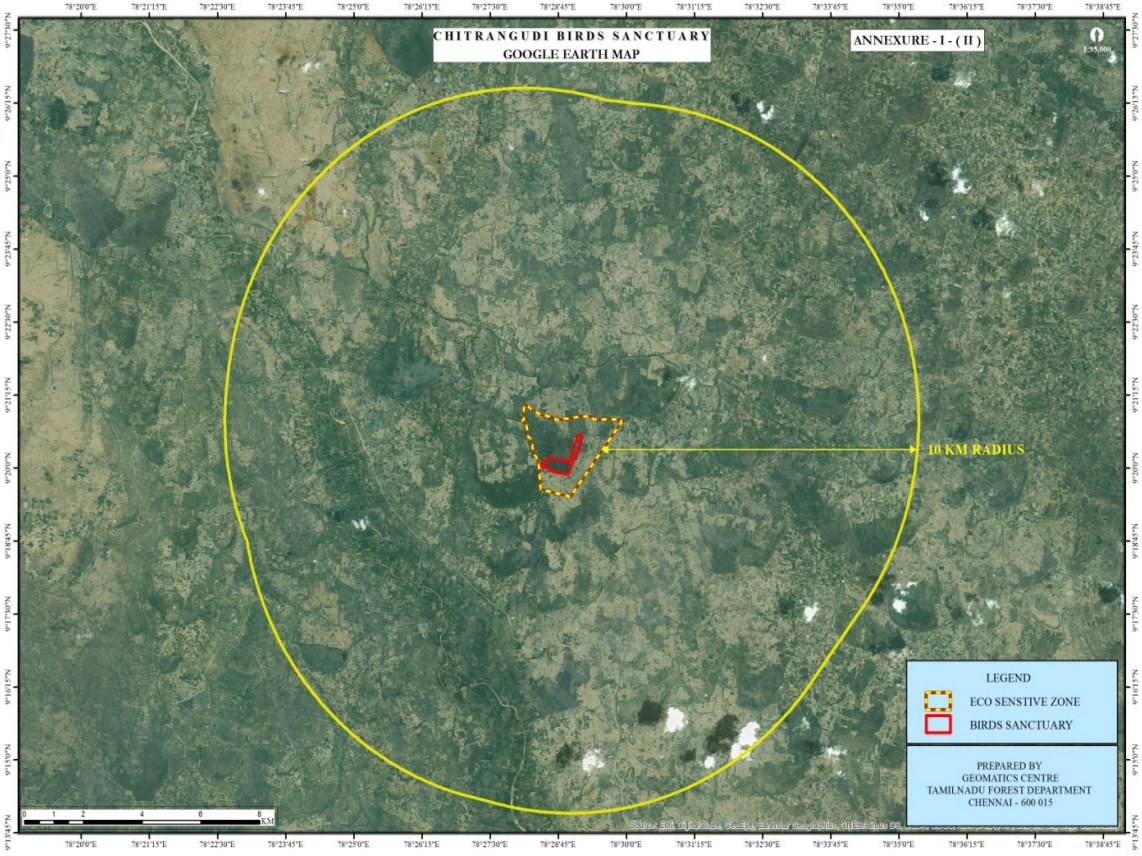
ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CHITRANGUDI BIRD SANCTUARY



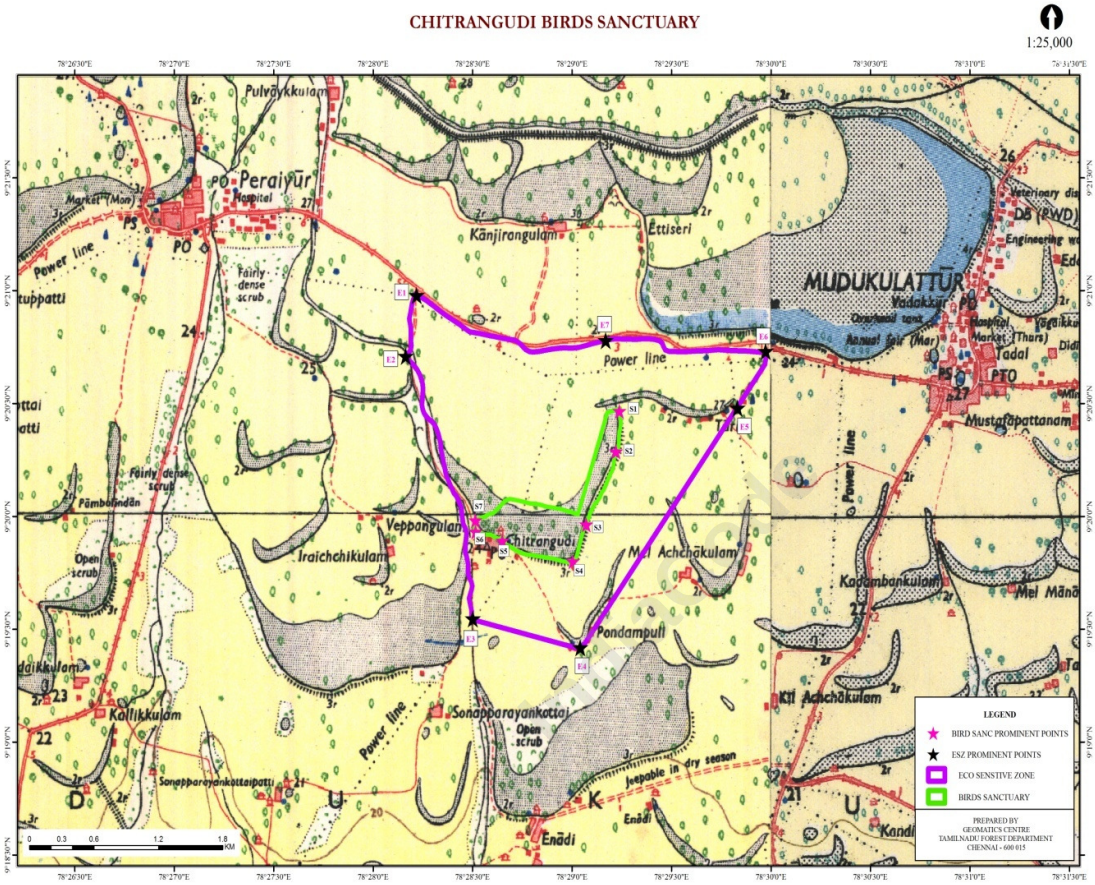
ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CHITRANGUDI BIRD SANCTUARY



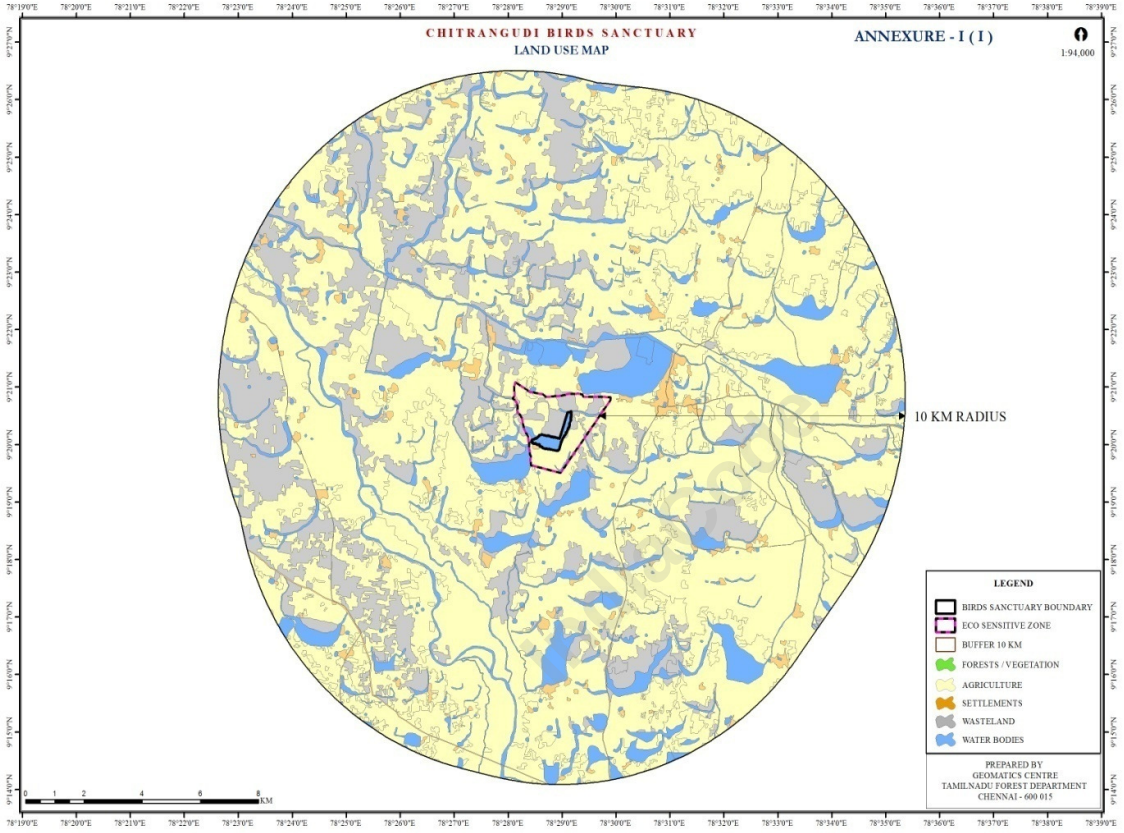
ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CHITRANGUDI BIRD SANCTUARY ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



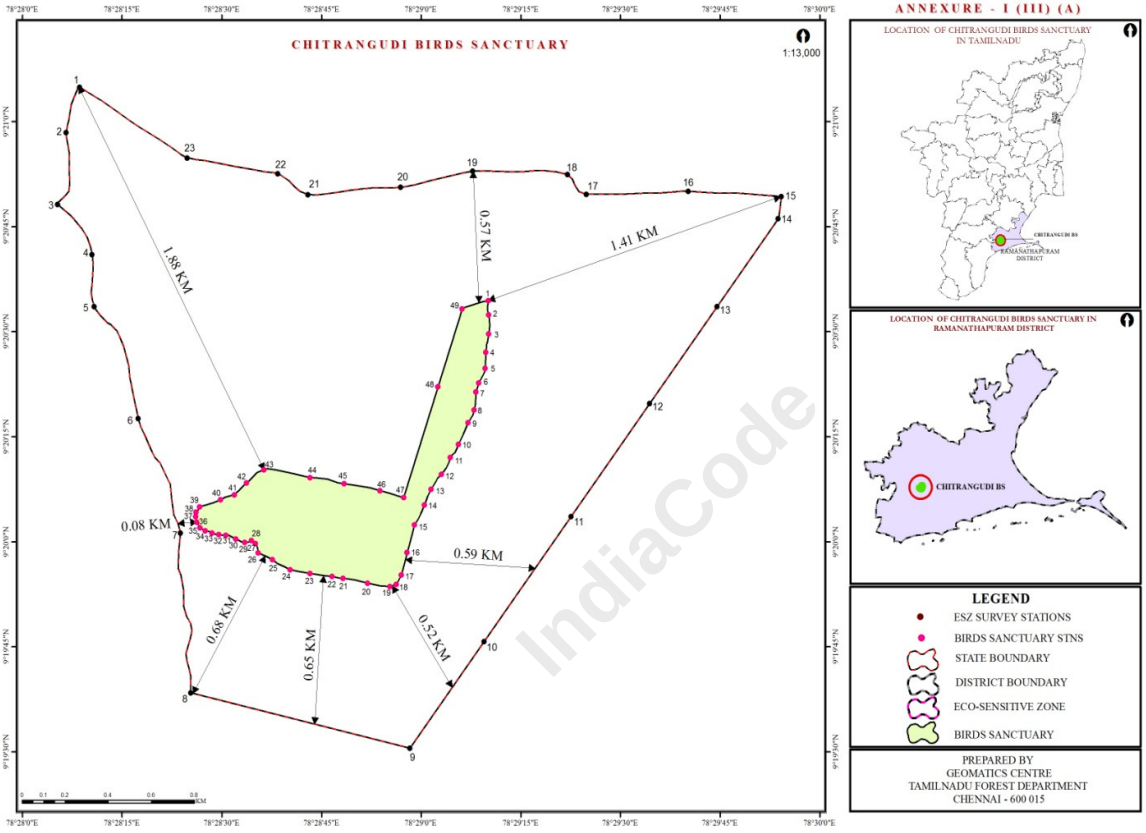
ANNEXURE- IID

LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CHITRANGUDI BIRD SANCTUARY ALONG WITH 10 KM BUFFER



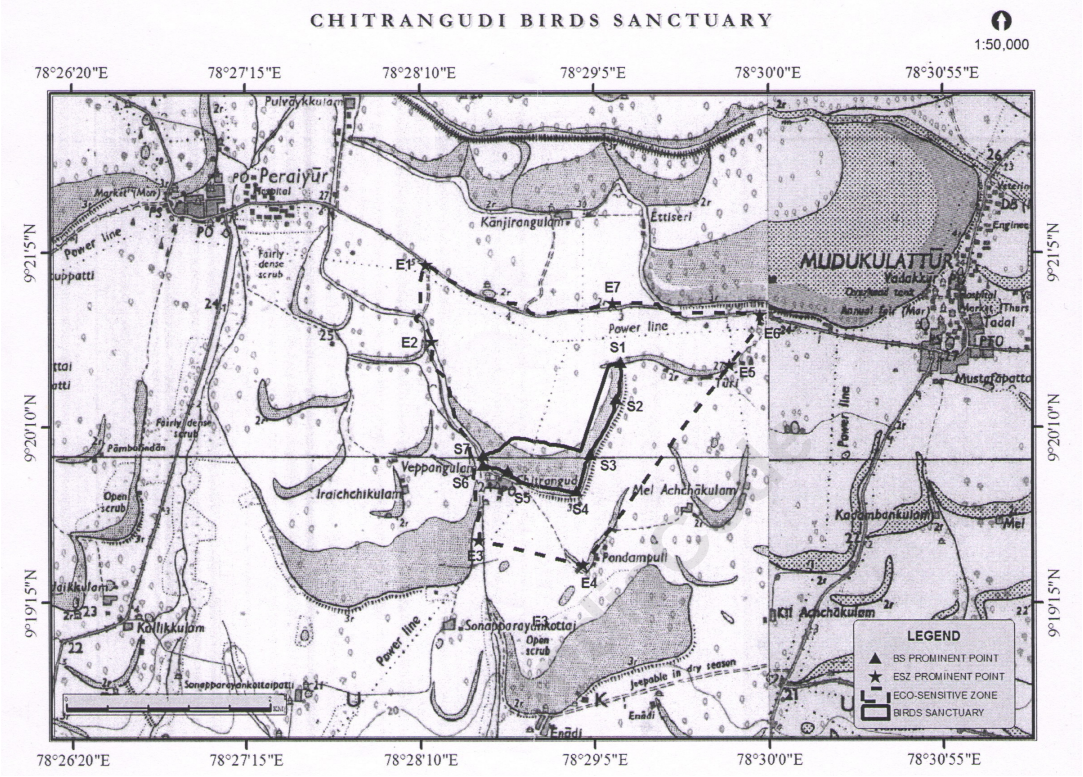
ANNEXURE- IIE

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CHITRANGUDI BIRD SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIF

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CHITRANGUDI BIRD SANCTUARY WITH HATCHING



ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Chitrangudi Bird Sanctuary, Tamil Nadu

S. No.	Identification of prominent points	Location / Direction of Prominent Point	Latitude (N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1.	1 (S1)	NE – Northern most tip adjoining Turi Kanmoi	9°20'34.494"	78°29'10.1472"
2.	2	E	9°20'32.4384"	78°29'10.2192"
3.	3	E	9°20'29.6916"	78°29'10.2012"
4.	4	E	9°20'27.0996"	78°29'9.798"
5.	5	E	9°20'24.7956"	78°29'9.6936"
6.	6 (S2)	E Eastern most point on the bund of Chitrangudi tank	9°20'22.7184"	78°29'8.7216"
7.	7	E	9°20'21.426"	78°29'8.2716"
8.	8	E	9°20'18.87"	78°29'8.0016"
9.	9	E	9°20'17.0628"	78°29'7.1232"
10.	10	E	9°20'13.9128"	78°29'5.6688"
11.	11	E	9°20'12.0552"	78°29'4.4304"

12.	12	E	9°20'9.6684"	78°29'3.0732"
13.	13	E	9°20'7.548"	78°29'1.554"
14.	14 (S3)	E Eastern most point on the bund of Chitrangudi tank	9°20'5.2872"	78°29'0.546"
15.	15	E	9°20'2.4252"	78°28'59.0232"
16.	16	E	9°19'58.4796"	78°28'57.9396"
17.	17	E	9°19'55.2936"	78°28'57.0648"
18.	18 (S4)	E South Eastern most point on the bund of Chitrangudi tank	9°19'53.9184"	78°28'56.3196"
19.	19	SE – Along the bund	9°19'53.6304"	78°28'55.362"
20.	20	S	9°19'54.0804"	78°28'51.978"
21.	21	S	9°19'54.8112"	78°28'48.2808"
22.	22	S	9°19'55.0812"	78°28'46.65"
23.	23	S	9°19'55.4808"	78°28'43.32"
24.	24	S Near Watch Tower	9°19'56.046"	78°28'40.3428"
25.	25	S	9°19'57.4536"	78°28'37.6752"
26.	26	S	9°19'58.4292"	78°28'35.508"
27.	27	S	9°19'59.7792"	78°28'35.1012"
28.	28 (S5)	S Point north of temple on the bund	9°20'0.1788"	78°28'34.4748"
29.	29	S	9°19'59.9052"	78°28'33.4956"
30.	30	S	9°20'0.402"	78°28'32.1312"
31.	31	S	9°20'10.2984"	78°28'36.3828"
32.	32	S	9°20'0.942"	78°28'30.6624"
33.	33	S	9°20'1.032"	78°28'29.5788"
34.	34	S	9°20'1.2876"	78°28'28.5744"
35.	35 (S6)	SW Along the bund near the approach road to Chitrangudi Village	9°20'1.5936"	78°28'27.5376"
36.	36	W	9°20'2.004"	78°28'26.7384"
37.	37	W	9°20'2.8068"	78°28'26.2848"
38.	38	W	9°20'3.5952"	78°28'26.1084"
39.	39 (S7)	NW Along the bund near the drinking water Oorani	9°20'4.2612"	78°28'26.166"
40.	40	NW	9°20'5.01"	78°28'26.6772"
41.	41	NW	9°20'6.0288"	78°28'29.8452"

IndiaCode

42.	42	NW	9°20'6.738"	78°28'31.9224"
43.	43	NW	9°20'8.4192"	78°28'33.726"
44.	44	N	9°20'9.204"	78°28'43.3164"
45.	45	N	9°20'6.342"	78°28'57.414"
46.	46	N	9°20'22.164"	78°29'2.5728"
47.	47	N	9°20'8.3256"	78°28'48.4356"
48.	48	N	9°20'33.3096"	78°29'6.2052"
49.	49	N	9°20'7.3176"	78°28'53.8248"

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

S. No.	Identification of prominent points	Location / Direction of Prominent Point	Latitude (N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1.	1 (E1)	NW Intersection point of Chitrangudi approach road on Mudukalathur – Kamuthi Road	9°21'4.9572"	78°28'8.6304"
2.	2	W	9°20'58.4844"	78°28'6.5604"
3.	3	W	9°20'48.1884"	78°28'5.2752"
4.	4 (E2)	W Along the approach road to Chitrangudi Village	9°20'41.064"	78°28'10.488"
5.	5	W	9°20'33.5868"	78°28'10.8264"
6.	6	W	9°20'17.6208"	78°28'17.4504"
7.	7	W	9°20'1.2624"	78°28'23.8116"
8.	8 (E3)	SW Eastern tip of Iraichikulam Kanmoi along bund	9°19'38.4132"	78°28'25.3272"
9.	9 (E4)	SE Southern tip of Pondampuli Kanmoi bund	9°19'30.522"	78°28'58.3644"
10.	10	E	9°19'45.75"	78°29'9.5208"
11.	11	E	9°20'3.6276"	78°29'22.6176"
12.	12	E	9°20'19.7484"	78°29'34.4292"
13.	13 (E5)	E Eastern tip of Turi Kanmoi	9°20'33.6156"	78°29'44.5848"
14.	14	E	9°20'46.2048"	78°29'53.808"
15.	15 (E6)	NE Intersection point of Turi village approach road on Mudukulathur – Kamuthi Road	9°20'49.3296"	78°29'54.2868"
16.	16	NN	9°20'50.0928"	78°29'40.2684"
17.	17	N	9°20'49.6824"	78°29'24.918"

IndiaCode

18.	18	N	9°20'52.4652"	78°29'22.1064"
19.	19 (E7)	N Along Mudukalathur - Kamuthi Road	9°20'52.9728"	78°29'7.818"
20.	20	N	9°20'50.6904"	78°28'56.9712"
21.	21	N	9°20'49.6176"	78°28'43.0104"
22.	22	N	9°20'52.6164"	78°28'38.4564"
23.	23	N	9°20'54.8628"	78°28'24.8088"

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF CHITRANGUDI BIRD SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

S. No	Village Name	Tehsil/ Taluk	District	Latitude (N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1	Chitrangudi	Mudukalathur	Ramanathapuram	9°19'56.73"	78°28'33.71"
2	Turi	Mudukalathur	Ramanathapuram	9°20'29.81"	78°29'39.38"
3	Pondampulli	Mudukalathur	Ramanathapuram	9°19'34.12"	78°29'1.76"

IndiaCode

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report: - Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee.

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan:
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.06.12 19:53:36 +05'30'